भारत सरकार
मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2982
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

दमन-दीव में मछुआरे

2982. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा दमन-दीव में कितने मछुआरों को अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं तथा उनके आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि दमन-दीव में कितने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं तथा उन्होंने केसीसी द्वारा अब तक कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए प्रदान की गई ऋण सुविधा का लाभ उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) दमन-दीव में कितने मछुआरों ने एक वर्ष तक केसीसी कार्ड का उपयोग करने के पश्चात अगले वर्ष के लिए ब्याज सहायता की सुविधा का लाभ उठाया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) वर्ष 2018-19 में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की सुविधा मछुआरों और मत्स्य पालकों तक विस्तारित की ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दमन-दीव में बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान किए गए मछुआरों की संख्या और उनका आँकड़ा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दमन-दीव में बैंकों द्वारा जारी केसीसी	कुल राशि (करोड़ रु.)
2021-22	72	1.01
2022-23	475	11.16
2023-24	542	21.79
2024-25 (24 दिसंबर तक)	578	35.58
कुल	**1,667**	**69.54**

(ख) दमन-दीव में कुल 1667 मछुआरों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से 69.54 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्राप्त हुई है।

(ग) पात्र मछुआरों को केसीसी सुविधा से परिपूर्ण करने तथा रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए मत्स्यपालन विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय और दमन एवं दीव के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। सभी पात्र मछुआरों और मत्स्य पालकों को शामिल करने के लिए 15 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक '2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान' शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मात्स्यिकी विभागों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर केसीसी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों तरीकों (कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ऑफलाइन और ' जनसमर्थ ' पोर्टल (www.jansamarth.in) के माध्यम से ऑनलाइन) से प्राप्त आवेदनों की ऑन द स्पॉट जांच की जा रही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में, भारत सरकार ने मछुआरों और मत्स्य पालकों के लिए केसीसी ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2025 से मात्स्यिकी क्षेत्र की केसीसी के लिए कोलैटरल फ्री लोन लिमिट 1.60 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान दमन-दीव में कुल 578 मछुआरों और मत्स्य किसानों ने दमन-दीव में केसीसी के तहत ब्याज अनुदान(इंटरेस्ट सबवेंशन) की सुविधा का लाभ उठाया है।

***